

02.04.25

पत्रावली पेश हुई । वकील गार्थी एवं गार्थी
स्वंप उपस्थित नहीं । बार-बार आवाज लगाने
पर भी उपस्थित नहीं हुए । अतः वादी का यह
वाद पत्र अदम पेशी - अदम हाजिरी में इसी
स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली
बाद तरीक तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया ।

02.04.25
(किरणपाल)
R.A.S.